

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग (राज.)

क्रमांक : 21

दिनांक : 16-9-25

आदेश (रिमाण्ड एवं प्रोटोकॉल)

मैं रेनू शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 एवं 13(2) बीएनएस की धारा (14 एवं 15(2) द.प्र.सं.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि कॉलम संख्या-3 में अंकित अवकाशों के दिन डीग जिले के वे मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु एवं डीग न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल कार्य को सुगमता व सुविधापूर्वक संचालन हेतु श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, डीग के मौखिक निर्देशानुसार **माह अक्टूबर, 2025** में पड़ने वाले राजकीय अवकाशों में प्रोटोकॉल का कार्य करने के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	दिनांक	रीडर नाम व मोबाईल नंबर
01.	श्री प्रतीक दाधीच, एसीजेएम सं.-2, नगर मो.नं. 9413712044	01.10.2025 व 02.10.2025 दशहरा अवकाश	श्री रामकुमार मीना 7732861449
02.	श्री वृजेश कुमार, एसीजेएम कुम्हेर मो.नं. 9875200299	05.10.2025 रविवारीय अवकाश	श्री विष्णु अग्रवाली 9414711321
03.	श्रीमति भाविका कुलहरी, जेएम डीग मो.नं. 8955626243	11.10.2025 द्वितीय शनिवार अवकाश व दिनांक 12.10.2025 रविवारीय अवकाश	श्री अश्विनी 9462354937
04.	श्री मुकेश कुमार, एसीजेएम सीकरी मो.नं. 8560033792	18.10.2025 व 19.10.2025 दीपावली अवकाश	श्री वच्चू सिंह 8742060401
05.	श्रीमति निलोफर तोमर, एसीजेएम संख्या 01 कामां मो.नं. 9927390450	20.10.2025, 21.10.2025, 22.10.2025, 23.10.2025 दीपावली अवकाश	श्री अशोक कुमार 7568453117
06.	श्री अजय कुमार शर्मा, एसीजेएम डीग मो.नं. 7073981773	25.10.2025 चतुर्थ शनिवार अवकाश व 26.10.2025 रविवारीय अवकाश	श्री प्रमोद 9414308611

नोट:-

- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात् के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।
- यदि किसी मुख्यालय पर संबंधित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हो तो वे उक्त रिमाण्ड आदि का कार्य अपने संबंधित थाने के संबंध में स्वयं घर से सम्पादित करेंगे।
- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से 1.00 पीएम से 3.00 पीएम तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे।
- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी ड्यूटी करने में असमर्थ है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा

संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

07. उक्त अधिकारी राज्य अथवा राज्य के बाहर से डीग पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के डीग प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे।
08. तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूति परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
09. किसी राजकीय अवकाश के दिवस प्रोटोकॉल कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी यदि आवश्यक कार्यवश ड्यूटी कार्य करने में असमर्थ है तो उस दिन के लिए, वह डीग न्यायक्षेत्र में पदस्थापित अन्य न्यायिक अधिकारी से वार्तालाप करके सहमति अपने स्तर पर प्राप्त करें तथा इस कार्यालय को सूचित करें। इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही, नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
10. किसी भी अवकाश के अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात् के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की प्रोटोकॉल की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में प्रोटोकॉल संबंधी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।

— sd —

(रेनू शकीत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीग जिला डीग

क्रमांक: 371-374

दिनांक: 16-9-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल):-

1. श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, डीग
2. समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग न्याय क्षेत्र
3. न्यायालय प्रबंधक/प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुन्सरिम जिला न्यायालय डीग
4. आदेश/संबंधित पत्रावली


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीग जिला डीग